E-Mail

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(3)आईडब्ल्यूएमपी / डब्ल्यूडीटी / निजभूस / 2015-16 / 3034-3108 दिनांक : 17.02.16

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर एवं
अधीक्षण अभियन्ता,
जिला परिषद,

विषय :- जलग्रहण समिति में सचिवों के चयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जलग्रहण समिति में सचिवों की नियुक्ति में हो रहे विवाद के परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण समिति के सचिव के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जावें।

जलग्रहण समिति के सचिव के चयन के सम्बन्ध में जारी पूर्व निर्देशों की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :

1. जलग्रहण समिति के सचिव का चयन ग्राम सभा द्वारा योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जावेगा। यह व्यक्ति कम से कम मैट्रिक पास एक स्वतंत्र वेतनभोगी, जो कि पंचायत समिति से पृथक होगा।
2. यह एक समर्पित कार्यकर्ता होगा, जिसके पास जलग्रहण समिति की सहायता के अलावा अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. यह ग्राम पंचायत का मूल निवासी होगा एवं अन्य किसी दूसरी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं होगा।
4. सचिव के मानदेय का भुगतान पीआईए स्तर पर परियोजना के प्रशासनिक मद से उपलब्ध राशि में से किया जायेगा।
5. प्रत्येक जलग्रहण समिति के सचिव का मानदेय अधिकतम रु. 3000/- प्रतिमाह रखा जावेगा।
6. यदि जलग्रहण कार्य का कार्यभार कम हो तो ग्रामसभा उसके मानदेय के बारे में पुनर्विचार कर कम कर सकती है।
7. यदि जलग्रहण समिति के सचिव का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, सचिव / कमेटी व सरपंच ग्राम पंचायत में कार्य के प्रति समन्वय का अभाव पाया जाता है तो सचिव को ग्रामसभा की बैठक में सर्वसम्मति / बहुमत से हटाकर नये सचिव की नियुक्ति का अधिकार ग्रामसभा को होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.18(3)आईडब्ल्यूएमपी/डब्ल्यूडीटी/निजभूस/2015–16/ 3034-3108 दिनांक : 17.02.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
7. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय समस्त।
10. संयुक्त निदेशक (एमआईईएस), आयुक्तालय, जयपुर को आपके यू.ओ.नोट 5451 दिनांक 28.01.2016 के संदर्भ में।
11. ए.सी.पी., आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(आईडब्ल्यूएमपी)